



उपायुक्त का न्यायालय, गोड्डा।

आर0एम0ए0 नं0-07/2020-21

सीताराम मंडल

बनाम्

राज्य एवं अन्य

—: आदेश :—

दिनांक

प्रविष्टि बिन्दु पर अपीलकर्ता के विद्वान अधिवक्ता को सुना।
अभिलेखबद्ध कागजातों का अवलोकन किया।

अपीलकर्ता के विद्वान अधिवक्ता का कथन है कि अनुमंडल पदाधिकारी, महागामा के पत्रांक-411/रा0 दिनांक-22.09.2020 से जारी निर्देश के आलोक में अंचल अधिकारी, ठाकुरगंगटी के द्वारा मौजा-दिग्धी के जमाबंदी सं0-31 दाग नं0-124 रकवा 00-03-15 धुर जमीन से हटाने के लिए अपीलकर्ता को नोटिश जारी किया गया। लेकिन अनुमंडल पदाधिकारी, महागामा के निर्देश के आलोक में अंचल अधिकारी, ठाकुरगंगटी के द्वारा अपीलकर्ता को उक्त जमीन से हटाया नहीं सकता है। क्योंकि अनुमंडल पदाधिकारी, गोड्डा के आर0ई0आर0 केश नं0-56/11-12 दिनांक-25.04.2013 से आदेश पारित है और अनुमंडल पदाधिकारी, महागामा के द्वारा लम्बी अवधि के बाद दिनांक-22.09.2020 को निर्देश जारी किया गया है। इसलिए अनुमंडल पदाधिकारी, महागामा के द्वारा जारी किया गया निर्देश न्याय संगत नहीं है। उनका आगे कथन है कि अपील आवेदन समय सीमा के अंदर दायर किया गया है। फिर भी अपीलकर्ता की ओर से लिमिटेशन प्रावधान के धारा 5 के तहत आवेदन दाखिल किया गया है। उन्होंने अपील आवेदन अंगीकार करने के लिए अनुरोध किया है।

सहायक सरकारी वकील का मतव्य है कि कुर्फा के आधार पर अपीलकर्ता का दावा वैध नहीं है। इसलिए अपीलकर्ता का अपील आवेदन स्वीकार करने योग्य नहीं है।

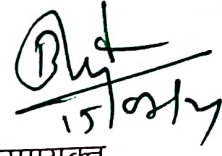
उपरोक्त वर्णित तथ्यों एवं निम्न न्यायालय के अभिलेख के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि अपीलकर्ता ने कुर्फा के आधार पर मौजा-दिग्धी के जमाबंदी सं0-31 दाग नं0-124 रकवा 00-03-15 धुर जमीन पर दावा किया है। साथ ही लम्बी अवधि के बाद अनुमंडल पदाधिकारी, गोड्डा के आर0ई0आर0 केश नं0-56/2011-12 के आदेश

दिनांक-25.04.2013 के विरुद्ध दिनांक-15.10.2020 को अपील वाद दायर किया है एवं लिमिटेशन एक्ट की धारा-5 के तहत दाखिल आवेदन में स्वीकार्य योग्य तथ्य अंकित नहीं है। ऐसी स्थिति में अपीलकर्ता का अपील आवेदन प्रविष्टि बिन्दु पर अंगीकार करने योग्य प्रतीत नहीं होता है।

अतः अपीलकर्ता का अपील आवेदन प्रविष्टि बिन्दु पर खारिज किया जाता है।

लिखाया एवं शुद्ध किया।


उपायुक्त,
गोड्डा।


उपायुक्त,
गोड्डा।

डीवी
सं 12)
दिनांक 16)

Seen
Meharaj Kumar Nautika